भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग
(आईईएम अनुभाग)

प्रेस नोट संख्या / 2019

विषय: औद्योगिक उद्यम ज्ञापन को भरने की प्रक्रिया का सरलीकरण

अधिसूचना संख्या सां.आ. 477 (अ) दिनांक 25 जुलाई 1991 के साथ पठित औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 23ख के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने 25 जुलाई, 1991 की उक्त अधिसूचना के अंतर्गत औद्योगिक उद्यम ज्ञापन (आईईएम) को भरने की प्रक्रिया को निम्नानुसार संशोधित किया है:

1. अनिवार्य लाइसेंसिंग द्वारा शामिल न की गई वस्तुओं के विनिर्माण हेतु नई परियोजनाओं अथवा अपना आवश्यक विस्तार करने के संबंध में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में ज्ञापन प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा
2. इस ज्ञापन को विभाग की वेबसाइट https://services.dipp.gov.in/lms/iemServices पर उपलब्ध सेवा का उपयोग करते हुए ऑनलाइन भरा जाएगा
3. इस ज्ञापन को वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने की तारीख से 120 दिनों के भीतर भरना होगा
4. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग शीघ्र ज्ञापन की प्राप्ति की पावती प्रदान करेगा
5. किसी भी पावती को इस कारण मना नहीं किया जाएगा कि ज्ञापन 120 दिनों के पश्चात प्रस्तुत किया गया
6. व्यवसाय को आसान बनाने की प्रक्रिया में सुधार के उपाय के तौर पर किए गए उपरोक्त परिवर्तनों के अनुसार दो स्तरों पर आईईएम (आईईएम भाग क: उद्देश्य और आईईएम भाग ख: कार्यान्वयन) फाइल करने की मौजूदा आवश्यकता से ऐसे सभी व्यवसायों को छूट दी गई है, जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस की अपेक्षा नहीं होती परिवर्तनकालीन उपाय के तौर पर, मौजूदा आईईएम को 3 महीने की अवधि के लिए संलग्न ज्ञापन के स्थान पर स्वीकार किया जाएगा

संख्या ....

नई दिल्ली, फरवरी 2019

(रविंद्र)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

व्यापक प्रसार हेतु उपर्युक्त प्रेस नोट प्रेस सूचना ब्यूरो को अग्रेषित

प्रमुख सूचना अधिकारी,
प्रेस सूचना ब्यूरो,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली